2114-52
3/10/12

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/DCE/JDA-Ju/1802-IV/2114-52 दिनांक :: 3 अक्टूबर, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2012 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2012 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: पैनल/सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति पर विचार विमर्श

प्राधिकरण में पैनल/सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन –पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनका विवरण

क्र. सं.	अधिवक्ता का नाम	प्रेषक का नाम व दिनांक	सहायक/पैनल	दस्तावेज	मोबाईल नं.
1.	श्री बालाराम	पूर्व में सहायक अधिवक्ता	पैनल अधिवक्ता	703/03	
2.	श्री विक्रमसिंह	पूर्व में सहायक अधिवक्ता	पैनल अधिवक्ता	735/2003	
3.	श्री चन्द्रशेखर छंगाणी	निदेशक विधि	पैनल अधिवक्ता		
4.	श्री मूलसिंह	निदेशक विधि	पैनल अधिवक्ता	825/01	9460649846
5.	श्री भोमाराम परिहार	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	298/76	9829606212
6.	श्री महेश जोशी	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	3075/05	9983164772
7.	श्री अनिल बच्छावत	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	389/91	9414243757
8.	श्री सुभाष कच्छावाह	श्री उकारराम कच्छवाहा, जिला देहात कांग्रेस	पैनल अधिवक्ता	12290/06	9214989285 7737649483

		कमेटी, जोधपुर श्री सुनिल भाटी, अध्यक्ष, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जोधपुर माली (सैनी) सेवा संस्थान, पीपाड़ शहर			
9.	श्री श्रवणसिंह निर्वाण	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	R/2239/08	9214328020
10.	श्री मलीराम पारीख	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	430/88	9460954895
11.	श्री जब्बरसिंह मलिक	आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट	31-01-1971 (Enrollment Date)	09312207734
12.	श्री पप्पू संघवा	आनन्द पुरोहित, सीनियर एडवोकेट,	पैनल अधिवक्ता	R/7/2007	9214412303
13.	श्री महेन्द्रसिंह गहलोत	सचिव, जेडीए	पैनल अधिवक्ता	R/1071/2005	9461030503
14.	श्री श्रवण कुमार बावरी	विषेशाधिकारी (टी), मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ)	पैनल अधिवक्ता	2585/2004	982968431
15.	श्री मोहम्मद युसुफ	आयुक्त महोदय	पैनल अधिवक्ता	R/1932/2000	9828395281 0291&2620159
16.	श्री हेमेन्द्र जैलिया	सचिव महोदय	पैनल अधिवक्ता	R/996/2012	9899577939
17.	श्री सुरेन्द्र बागमलानी	आयुक्त महोदय	पैनल अधिवक्ता	2433/2008	9413247894 PAN : AKKPB4984G
18.	श्री मोहम्मद अलताफ	उम्मेद अली मेहर, एडवोकेट, पूर्व महासचिव, जोधपुर देहात युवा कांग्रेस कमेटी, उप सचिव (पी. एस.) मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार पत्र संख्या 63, दिनांक 06.01.12	सहायक अधिवक्ता	2070/08	9782370850
19.	कप्तान बोरावड	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सहायक अधिवक्ता	1668/09	9829318411
20.	श्री पुखराज	अध्यक्ष, जोधपुर	सहायक	1984/05	9413570746

	विश्नोई	विकास प्राधिकरण, जोधपुर	अधिवक्ता		
21.	श्री संजयराज पण्डित	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सहायक अधिवक्ता	2786/10	9166641984
22.	श्री विकास दवे	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सहायक अधिवक्ता	1556/08	9509177719
23.	श्री साबिर खान	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सहायक अधिवक्ता	2234/06	9829082104
24.	श्री गुलाम मोईनुद्दीन अशरफी	नवाब अली शाह, जिला महासचिव, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, श्री अनिल गौड़, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, विधि विभाग	सहायक अधिवक्ता	3678/06	9829723257 0291-2550246
25.	श्री वासुदेव गौड़	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक अधिक्ता	708/09	
26.	श्री कमलेश जोशी	डाक द्वारा	सहायक अधिक्ता	R4865/10	9829214665
27.	श्री अनिल जोशी	आयुक्त जेडीए	सहायक अधिक्ता		09829290222

अतः इस संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सचिव, निदेशक–विधि एवं मुख्य विधि सहायक की एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति वर्तमान में प्राधिकरण के विरूद्ध विभिन्न माननीय न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पष्ट अनुशंषा करेगी तदनुसार पैनल लॉयर व सहायक अधिवक्ता नियुक्त किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: श्री माहेश्वरी समाज समिति, पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर को महिला छात्राओं के हॉस्टल हेतु भूमि आवंटन

अध्यक्ष, श्री माहेश्वरी समाज समिति, पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर के आवेदनानुसार उच्च शिक्षा हेतु बाहर से आने वाली महिला छात्राओं को आवास व्यवस्था के लिए 300 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। मुख्य आवंटन शाखा (पूर्व) के द्वारा राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में शान्ति निकेतन के पास पार्क के पास संस्थाओं की आरक्षित भूमि की उपलब्धता होने की टिप्पणी की है।

पत्रावली के अनुसार संबंधित संस्था से नवीन आवंटन नीति दिनांक 19 अप्रेल, 2011 के तहत आवेदन पत्र में पत्रादि मांग किया जाना प्रस्तावित है, एवं भूमि आवंटन के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदक संस्था को आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। किन्तु आवंटन के लिए आवश्यक दस्तावेजात प्राप्त करने व उपायुक्त स्तर पर जॉच करने की कार्यवाही की जाकर अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्रीमती कमला पत्नि स्व. श्री ओमप्रकाश को आवासगृह का आवंटन

प्रार्थीनी ने अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पति को कीर्तिनगर विस्तार योजना में वर्ष 2003 में आवेदन–शुल्क 7000/– जरिये रसीद संख्या 1307/23 दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा जमा करवाये हैं। जो रोकडपाल की रिपोर्ट के अनुसार रिफण्ड नहीं किये गये हैं। प्रार्थीनी ने आवेदन–पत्र के साथ पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2003 का पेश कर कीर्तिनगर में आवासगृह आवंटन की मांग की है। इस संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थीनी द्वारा आवासगृह संख्या 181 पर पिछले 12–13 वर्षों से रहना बताया हैं। प्रार्थीनी ने अपने नाम का राशन कार्ड भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थीनी के पति द्वारा आवासगृह हेतु आवेदन किया गया था लेकिन उन्हें लॉटरी में आवासगृह आवंटन नहीं हुआ था। प्रार्थीनी द्वारा आवासगृह आवंटन की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में प्रकरण को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: प्लाट संख्या 71 सेक्टर 3 रामराज योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में।

नगर विकास न्यास, जोधपुर के कार्यालय आदेश कमांक 4591 दिनांक 11 सितम्बर, 2008 के अनुसार श्रीमती सुशीला कच्छवाह पत्नि स्व. श्री जगमोहन को कीर्तिनगर सेक्टर बी में आवंटित भूखण्ड संख्या 228 के एवज रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 71 सेक्टर–3 आवंटित किया गया था। प्रार्थीनी श्रीमती सुशीला देवी ने भूखण्ड संख्या 71 सेक्टर–3 रामराज नगर योजना की लीज डीड की मांग की है। वर्तमान में उक्त पत्रावली प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली खोजने हेतु सर्च नोट जारी किया जा चुका है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2011 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जा चुकी है एवं स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में आम सूचना का प्रकाशन करवाया जा चुका है। डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्लाट संख्या 71 सेक्टर 3 रामराज नगर योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया तथा उक्त भूखण्ड के आवंटन के संबंध में उपायुक्त–दक्षिण, मुख्य विधि सहायक एवं तहसीलदार की एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति आवेदक को हुए आवंटन के संबंध में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगी तद्नुरूप ही पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 6 :: प्लाट संख्या 635 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना (आवंटी श्री प्रभुसिंह राठौड पुत्र श्री गुदडसिंह) के संबंध में।

1. आंवटित भूखण्ड एवं योजना का नाम – जे 635 राजीव गांधीनगर योजना
2. आंवटित तिथि व कमांक – 15.02.2010
3. आंवटन के लिए विसंगति का विवरण – नही
4. बिन्दु जो कार्यकारी समिति के स्तर पर लिया जाना है :– राजीव गांधी नगर योजना में दिनांक 15.02.2010 को भूखण्डो के आवंटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतू आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसो में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात् आगामी 60 दिवसो में आवंटी 15: वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता था। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) (पप) के अनुसार उक्त स्वतः रद् करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि के लागत की राशि और खण्ड एक में उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है। उपरोक्तानुसार राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में निम्नानुसार प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

क्रं. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्री प्रभु सिंह राठौड पुत्र श्री गुदड. सिंह राठौड.	जे–635 राजीव गांधी नगर	12.04.10	10.07.2010	09.07. 2011

5. **उपायुक्त की टिप्पणी एवं अनुशंषा** :– राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को राज्य सरकार को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया तथा यह निर्णय भी लिया गया कि प्रकरण में आवंटी को आवंटन–पत्र नहीं मिलने व देरी के लिए दोषी कार्मिक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: विद्युत विकास कार्यों के संबंध में।

7(1). As per demand of hospital and direction of collector Jodhpur and Jodhpur Development Commissioner following extra and excess work were executed under agreement No. F38(41)Ele/2011-12/545 dt. 23.09.2011

S.No.	Item	Previous A&F of Deposit work	Revised A&F to be needed	Rest Amount to be Sanctioned by JDA
I	**Extra work** :- Supply & Fixing of prefab structure rooms for A/C Units	-	15.00	15.00

	on IIIrd Floor of Umaid Hospital			
II	**Excess work** :- Work was exceed due to expansion of Pre labour room, Doctors room and etc.	120.00	154.00	34.00
Total		**120.00**	**169.00**	**49.00**

The labour block was inaugurated by H'ble CM Rajasthan on 08.09.2012 and the work was to be executed very urgently. Thus as per discussion with collector Jodhpur and Jodhpur Development commissioner the work was executed. Direction were also given that this work being deposit work, the payment to contractor of these extra and excess mentioned above may be done from Jodhpur Development Authority fund. Hospital authorities already for this given vide deposit work 120.00 Lacs for this to Jodhpur Development Authority, Jodhpur and remain 49.00 lacs to be sanction by JDA.

Hence case put up before E.C. for approval & sanction of extra and excess work as above and revised A&F amount of Rs. 169.00 lacs reflectively and approval for as above Rs. 120.00 lacs already deposited by Hospital Authorities and rest payment Rs. 49.00 lacs from Jodhpur Development Authority fund to finalization the work.

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

7 (2). इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत पत्रों पर अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रदान किये गये निर्देश की पालना में निम्न कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बढाने एवं अधिक एवं अतिरिक्त कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तावना :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्व प्राप्त A&F राशि	प्रस्तावित A&F राशि
1.	बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में नया बोरीग करना तथा उसमें ब्वउचसमजम पम्पसेट लगाना तथा पहले वाले बोरीग में New 20 HP का च्नउच लगाना तथा इसका संचालन करना शास्त्री सर्कल पर 40 वर्ष पुराने बोरीग खराब हो जाने के कारण नया बोरीग कर पानी उपलब्ध कराने बाबत्।	5.00	9.50
2.	बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में नया बोरीग करना तथा उसमें ब्वउचसमजम पम्पसेट लगाना तथा पहले वाले बोरीग में New 20 HP का च्नउच लगाना तथा इसका संचालन करना शास्त्री सर्कल पर 40 वर्ष पुराने बोरीग खराब हो जाने के कारण नया बोरीग कर पानी उपलब्ध कराने बाबत्।	5.00	9.50
3.	वार्ड नं. 60,61,62,63 में विद्युतीकरण का कार्य।	10.33	30.00
4.	ग्राम पंचायत चौखा भद्रेशिया क्षेत्र में रोड लाईट लगाने का कार्य।	18.40	40.00
5.	जोधपुर विकास प्राधिकरण स्टोर में ट्रीगार्ड आपूर्ति का कार्य।	25.00	35.00
6.	भंदवासीया रेल्वे क्रोसिग से बनाड रेल्वे क्रोसिंग के मध्य	71.50	90.00

	एवं पथ प्रकाश व्यवस्था सुदरीकरण का कार्य।		

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शिड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार ही संबंधित अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किये जावे।

7 (3). इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत पत्रों पर अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रदान किये गये निर्देश की पालना में निम्न कार्यो की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तक कार्य करवाने एवं आवश्यकतानुसार अधिक एवं अतिरिक्त कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तावना :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश राशि (लाखों में)	पूर्व स्वीकृत A&F (लाखों में)
1.	रोटरी चौराहा द्वितीय से शास्त्री सर्किल–आईटीआई चौराहा–डेयरी–बासनी आरओबी पाल लिंक रोड (प्रथम चरण में रोटरी चौराहा से आई.टी.आई. चौराहा तक) तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	54.59	80.00
2.	रोटेरी सर्कल 1 से न्यू पावर हाऊस तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट् करने का कार्य।	73.12	106.00
3.	श्री राम हॉस्पीटल से बनाड तिराहा तक सडक पर का पथ प्रकाश व्यवस्था कार्य।	82.78	127.00
4.	सरदारपुरा डी रोड से नसरानी सिनेमा तक 11 के.वी. व एल.टी. लाईन भूमिगत करने का कार्य।	119.09	174.00
5.	सांगरिया पंचायत में आने वाली कॉलोनियो में रोड लाईट एवं वायर खिचने का कार्य।	46.61	69.00
6.	किराये पर कुलर लगाने एवं ऑफिस में लगे कुलर की मरम्मत एवं देखरेख मय पानी भरने का खर्चा तथा वाटर कुलर की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये वाटर कुलर लगाने का कार्य।	4.24	5.00

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

7 (4) विभिन्न क्षेत्रो के जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत पत्रों पर अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रदान किये गये निर्देश की पालना में निम्न कार्यो की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावना :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	A&F राशि
1.	सांगरिया बाईपास से सालावास गांव तक वाया एस.टी.पी. प्लान्ट रोड़ पर विद्युतीकरण का कार्य।	150.00
2.	भाटी चौराहा, मगरापुंजला से चार थम्बा वाया परिहारो का बास	137.00

	तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	
3.	झालामण्ड क्षेत्र के आस पास की कॉलोनियों जैसे बनवडियों की ढाणी, सिनवाडियों की ढाणी, मिरा नगर इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	30.00
4.	ड़िगाडी क्षेत्र के आस पास की विभिन्न कॉलोनियों जैसे आदर्श नगर, प्रभात नगर, प्रेम नगर, खसरा नं. 47 नान्दड़ी आदि कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	70.00
5.	नान्दडी क्षेत्र के खसरा नं. 58,58/1,59,59/1 इत्यादि क्षेत्र में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	30.00
6.	पूर्व पश्चिम पाल रोड वार्ड नं. 5 गुलिस्तान आवासिय योजना भादु मार्केट इत्यादि क्षेत्र में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	60.00
7.	सांगरिया रोड़ पर स्थित कॉलोनियों साऊकी ढाणी महावीर नगर, अमर नगर, मोती नगर, बालाजी नगर, गणेश नगर, पार्वति नगर, हिम्मत नगर इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	40.00
8.	खारडा रणधीर में गणेश नगर इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	10.00
9.	वार्ड नं. 26 की विभिन्न कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	65.00
10.	रामपुरा भटियान में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	10.00
11.	मिरासी कॉलोनी क्षेत्र में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	33.10
12.	तिलवाडिया तिराहा चौपासनी एवं डाली बाई मंदिर चौराहे पर हाईमास्ट का कार्य।	10.00
13.	ग्राम सालवा कलां में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	10.00
14.	सूरसागर क्षेत्र में मंदिरों इत्यादि में विद्युतीकरण का कार्य।	10.00
15.	मदनसिंह आर्य एवं आस पास कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	30.00
16.	जोन पूर्व के विभिन्न स्थानों पर रोड़ के मध्य आने वाले पोल, ट्रांस्फार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	25.00
17.	जोन पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर रोड़ के मध्य आने वाले पोल, ट्रांस्फार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	45.00
18.	जोन उत्तर के विभिन्न स्थानों पर रोड़ के मध्य आने वाले पोल, ट्रांस्फार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	45.00
19.	जोन दक्षिण के विभिन्न स्थानों पर रोड़ के मध्य आने वाले पोल, ट्रांस्फार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	25.00
20.	मान सागर पार्क महामंदिर में विद्युतीकरण का कार्य।	80.00
21.	मान सागर पार्क में गेजीबो लगाने का कार्य।	90.00
22.	कायलाना झील पार्क में गेजीबो लगाने का कार्य।	47.00
23.	ग्राम पंचायत चौखा में विभिन्न विद्युत संबंधित कार्य।	24.77
24.	वार्ड नं. 58 में विभिन्न क्षेत्रो में रोड लाईट कार्य।	15.40
25.	वार्ड नं. 22 के विभिन्न क्षेत्रो में विद्युतीकरण का कार्य।	7.75
26.	ग्राम बडली कदमकंडी में विभिन्न क्षेत्रो में रोड लाईट कार्य।	14.00

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्रकरण संख्या 943/2012 खसरा संख्या 292/8 से 11 ग्राम पाल ओ.सी.एफ. भूमि आवंटन बाबत।

श्री जितेन्द्रसिंह, अधिकृत प्रतिनिधि आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड खसरा संख्या 292/8 से 291/11 आशापूर्णा एन्कलेंव ग्राम पाल में ओ.सी.एफ. कलब की भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार ओ.सी.एफ. भूमि का रकबा 1329.16 वर्ग गज है, व भूखण्ड रिक्त है। उक्त खसरान की भूमि का ले–आऊट प्लान अनुमोदित समिति की पंचम बैठक दिनांक 21 मई, 2010 कम संख्या 18 पर ले–आऊट प्लान पारित हो चुका है। शासन उप सचिव, तृतीय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के आदेश कमांक 10 (7) नविवि/3/ 2009 पार्ट–1 जयपुर दिनांक 3 मई, 2012 द्वारा ओ.सी.एफ. भूमि को विकासकर्ताओं को 5000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का आदेश हैं तथा विकासकर्ता को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर निर्माण प्रारम्भ करना होगा।

पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर रूपये 2500/– प्रति वर्ग मीटर है। अतः आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड को खसरा संख्या 292/8 से 292/11 आशापूर्णा एन्कलेव ग्राम पाल में स्थित ओ.सी.एफ. भूमि रकबा 1329.16 वर्ग गज अर्थात् 1111.31 वर्ग मीटर आरक्षित दर रूपये 2500/– की 50 प्रतिशत अर्थात् रूपये 1250/– प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित करने बाबत निर्णय हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर भूमि का आवंटन किया जावे। आरक्षित दर निर्धारण के लिए प्राधिकरण की समीपवर्ती पूर्वी पाल रोड योजना या अन्य निकटतम योजना की आरक्षित दर को आधार बनाते हुए लागू होने वाले दर पत्रावली पर प्रस्तुत की जाकर आयुक्त स्तर से अनुमोदित करवायी जावे। आवंटन–पत्र जारी किये जाने से पूर्व आशापूर्णा बिल्डकॉम द्वारा ओ.सी.एफ. आवंटन के विरूद्ध दायर याचिका विड्रा करवायी जावे। आवंटन आदेश जारी किये जाने से पूर्व सचिव, निदेशक–आयोजना, निदेशक–विधि एवं उपायुक्त समुचित परीक्षण कर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के सेक्टर सी तथा खसरा संख्या 7 कुडी भगतासनी में पुनर्वासित व्यक्तियों को पट्टे एवं नियमन राशि बाबत।

नगर विकास न्यास, जोधपुर की बैठक दिनांक 07.03.2001 के प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत राजीव गांधी कच्ची बस्ती, पाली रोड़ पर स्थिति अतिक्रमियो को खसरा नं. 7 कुड़ी भगतासनी एवं मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर, सांगरियां सेक्टर–'सी' में भूखण्ड आवंटित कर पुनर्वासित किया जाकर 15' x 30' के भूखण्ड दिये गये थें। उक्त बैठक में पुर्नवासित व्यक्तियों से 400/– रूपये प्रति वर्गमीटर की आरक्षित दर की 25 प्रतिश राशि वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार की समस्त कच्ची बस्तियों की पत्रावलियां क्षैत्राधिकार हस्तान्तरण हो जाने के कारण नगर निगम, जोधपुर को भिजवाई जा चुकी है। उक्त कच्ची बस्ती (राजीव गांधी कच्ची बस्ती, पाली रोड़) को नियमन बाबत् पुन प्राधिकरण में पत्रावलियां मंगवाई गई है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.05.2012 के प्रस्ताव संख्या 17 के अन्तर्गत पुनर्वासित व्यक्तियों को न्यास बैठक दिनांक 07.03.2001 के अनुसार भूखण्ड आवंटन–पत्र जारी करने एवं पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है। न्यास बैठक दिनांक 07.03.2001 के प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत 400/– प्रति वर्गमीटर आरक्षित दर से नियमन राशि लेने का निर्णय है एवं वर्तमान में मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया की आरक्षित दर 6450/– प्रतिवर्गमीटर है। पत्रावली में निदेशक–वित्त एवं निदेशक–विधि की टिप्पणी ली जाकर आयुक्त महोदय से अनुमोदन कराया जा चुका है कि नियमन/ आवंटन राशि आवंटन के समय प्रचलित दर से ली जावे।

बैठक में निर्णय लिया जाना है कि नियमन राशि किस दर से वसूल की जानी है। समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवंटन के समय प्रचलित आरक्षित दर 400/– रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से नियमन दर वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोन उत्तर–सी के विकास कार्यों के संबंध में।

अ संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।

1- बागर चौक बालाजी मंदिर के सामने वाचनालय निर्माण व पार्क के जीर्णोद्वार कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।

मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू. 8.45 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति	रू. 8.45 लाख
कार्यादेश राशि	रू. 8.19 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू. 13.34 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान ;त्मअपेमक म्जपउंजम ।उवनदजद्ध	रू. 13.34 लाख
अधिक कार्य (Excess Item)	रू. 3.71 लाख (43.90%)
अतिरिक्त (Extra Item)	रू. 3.20 लाख (39.07%)

बागर चौक बालाजी मंदिर के सामने वाचनालय निर्माण व पार्क के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू. 8.45 लाख की वितीय प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदत की गई थी। जिसकी अनुपालना में निविदा जारी कर मैसर्स नरपत कन्स. कं. को कार्यादेश जारी किया गया वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अनुबंध संख्या एफ 38 (19)2011–12

पार्षद श्रीमति अंजू चौहान एवं श्री करणसिह इंदा के द्वारा अन्य निर्माण, फर्श व गेट आदि का कार्य करवाने हेतु अनुशंषा की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्य का संशोधित तकमीना राशि रू. 13.35 लाख लाख का बनाया गया है।

अभियांत्रिक शाखा से प्राप्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्य का विवरण, अतिरिक्त/अधिक कार्य किये जोन के कारण एवं निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

2 **निर्माण कोलोनी मण्डोर में मदिर के पास स्नानाघर एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु ।**

मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू 5.00 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति	रू 5.00 लाख
कार्यादेश राशि	रू 5.06 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू 7.88 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान (Revised Estimate Amount)	रू 7.88 लाख
अधिक कार्य (Excess Item)	रू 2.90 लाख (57.3%)
अतिरिक्त (Extra Item)	रू 0.29 लाख (5.74%)

निर्माण कोलोनी मण्डोर में मदिर के पास स्नानाघर एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य । हेतु 5.00 लाख की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में निविदा जारी कर मैसर्स एच.आई. कन्सट्रक्शन कंपनी को कार्य आदेश जारी किया गया । उपरोक्त निर्माण कार्य की अनुबंध संख्या एफ 38 (सी–32) 2012 –13 है ।

पार्षद श्री मयंक देवडा की जनहित के मध्य नजर मांग पर कुछ अतिरिक्त कार्य कराने हेतु श्री मान् अध्यक्ष महोदय जो. प्र. वि. ने साईट निरिक्षण के दौरान निर्देश प्रदान किए । कार्य का संशोधित तकमीना रूपये 7.88 लाख का बनाया गया ।
अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 7.88 लाख एवं अधिक कार्य हेतु रू. 1.83 लाख (36.6%) तथा अतिरिक्त कार्य रू. 0.25 लाख (5%) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कार्य की समय अवधि 15 नवम्बर 2013 तक बढाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

अभियांत्रिक शाखा से प्राप्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्य का विवरण, अतिरिक्त/अधिक कार्य किये जोन के कारण एवं निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक

अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

3- **पहाडगंज प्रथम में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन व टायलेट ब्लॉक का कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु ।**

मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	रू 10.00 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति ।	रू 10.00 लाख
कार्यादेश राशि ।	रू 13.59 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	रू 22.05 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान ।	रू 22.05 लाख
अधिक कार्य ।	रू 7.88 लाख (82%)
अतिरिक्त कार्य ।	रू 0.64 लाख (6.4%)

पहाडगंज प्रथम में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन व टायलेट ब्लॉक का कार्य हेतु 10.00 लाख की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में निविदा जारी कर मैसर्स शिवदान सिंह भाटी को कार्य आदेश जारी किया गया । उपरोक्त निर्माण कार्य की अनुबंध संख्या एफ 38 (18) 2012 –13 है ।

आम जनता की मांग पर जनहित में कुछ अतिरिक्त कार्य कराने हेतु श्री मान् अध्यक्ष महोदय जो. वि. प्रा. ने साईट निरिक्षण के दौरान निर्देश प्रदान किये । कार्य का संशोधित तकमीना रूपये 22.05 लाख का बनाया गया ।

अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 22.05 लाख एवं अधिक कार्य हेतु रू 7.88 लाख (82%) तथा अतिरिक्त कार्य रू. 0.64 लाख (6.4%) की समय अवधि 16 दिसम्बर 2012 तक बढाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

4- **नाग तलाब से कडवड गॉव तक सडक निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।**

मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू 45.00 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति	रू 45.00 लाख
कार्यादेश राशि	रू 39.73 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू 76.94 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान (Revised Estimate Amount)	रू 76.94 लाख
अधिक कार्य (Excess Item)	रू 37.20 लाख (82.66%)

अतिरिक्त (Extra Item) रू Nil

नाग तालब से कडवड गॉव तक सडक निर्माण कार्य हेतु 49.00 लाख की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में निविदा जारी कर मैसर्स नारायण स्वामी ऐन्टरप्राईजेज को कार्य आदेश जारी किया गया । उपरोक्त निर्माण कार्य की अनुबंध संख्या एफ 38 (108) 2012 –13 है ।

आम जनता की मांग पर जनहित में कुछ अतिरिक्त कार्य कराने हेतु श्री मान् अध्यक्ष महोदय जो. प्र. वि. ने साईट निरिक्षण के दौरान **पानी भराव क्षेत्र होने के कारण अतिरिक्त नाला निर्माण के निर्देश प्रदान किये।** कार्य का संशोधित तकमीना रूपये 76.94 लाख का बनाया गया ।

अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 76.94 लाख एवं अधिक कार्य हेतु रू 37.20 लाख (75%) तथा कार्य की समय अवधि 31 मार्च 2014 तक बढाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। अभियांत्रिक शाखा से प्राप्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्य का विवरण, अतिरिक्त/अधिक कार्य किये जोन के कारण एवं निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

5- घोडा घाटी, बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।

मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	रू 20.00 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति ।	रू 20.00 लाख
कार्यादेश राशि ।	रू 22.96 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	रू 49.20 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान ।	रू 49.20 लाख
अधिक कार्य ।	रू 10.67 लाख (55.8%)
अतिरिक्त कार्य ।	रू 16.76 लाख (83.8%)

घोडा घाटी, बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य । हेतु 20.00 लाख की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में निविदा जारी कर मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राईजेज को कार्य आदेश जारी किया गया । उपरोक्त निर्माण कार्य की अनुबंध संख्या एफ 38 (09)2012 –13 है ।

पार्षद श्री मयंक देवडा की जनहित के मध्य नजर मांग पर कुछ अतिरिक्त कार्य कराने हेतु श्री मान् अध्यक्ष महोदय जो. वि. प्रा ने साईट निरिक्षण के दौरान निर्देश प्रदान किए । कार्य का संशोधित तकमीना रूपये 49.20 लाख का बनाया गया।

अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 49.20 लाख एवं अधिक कार्य हेतु रू. 10.67 लाख (55.8%) तथा अतिरिक्त कार्य रू. 16.76 लाख (83.8%) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कार्य की समय अवधि 01 फरवरी 2013 तक बढाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। अभियांत्रिक शाखा से प्राप्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्य का विवरण, अतिरिक्त/अधिक कार्य किये जोन के कारण एवं

निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

अभियांत्रिक शाखा से प्राप्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्य का विवरण, अतिरिक्त/अधिक कार्य किये जोन के कारण एवं निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

6 जोधपुर सोजत बाईपास सड़क क्रोसिंग का विकास कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु

मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू. 24.65 लाख
मूल तकनीकी स्वीकृति	रू. 24.65 लाख
कार्यादेश राशि	रू. 25.75 लाख
आवश्यक संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	रू. 100.00 लाख
संशोधित तकनीकी अनुमान (Revised Estimate Amount)	रू. 100.00 लाख
अधिक कार्य (Excess Item)	रू. 51.72 लाख (200.89%)
अतिरिक्त (Extra Item)	रू. 22.49 लाख (95.25%)

जोधपुर सोजत बाईपास सड़क क्रोसिंग का विकास कार्य हेतु रू. 24.65 लाख की वित्तीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदत की गई थी। जिसकी अनुपालना में निविदा जारी कर मैसर्स एम्पल इनकोर्पोरेशन को कार्यादेश जारी किया गया वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अनुबंध संख्या एफ 38 (35)/2012–13/466

पार्षद श्री मयंक देवड़ा के द्वारा अन्य निर्माण का कार्य करवाने हेतु अनुशंषा की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्य का संशोधित तकमीना राशि रू. 100.00 लाख का बनाया गया है।

अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 100.00 लाख एवं (Excess Item) रू. 51.72 लाख (200.89%) & (Extra Item) Rs. 22.49 लाख (95.25%) स्वीकृति हेतु एवं कार्य की समयावधि दिनांक 29.09.2013 तक बढाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। अभियांत्रिक शाखा से प्राप्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्य का विवरण, अतिरिक्त/अधिक कार्य किये जोन के कारण एवं निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं

होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: जोन उत्तर–ए व बी विकास कार्यों के संबंध में।

A संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।

1 खटीको का बास महामंदिर सावजनिक पार्क की चार दीवारी व अन्य विकास कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (53)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स संदीप पहिहार से इस कार्य से उक्त कार्य 18.99 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि हॉल टिनशेड, हौद टॉयलेट ब्लॉक भी पार्क को कार्य के अंतर्गत ही बनवाया जाए। अतः उपरोक्त राशि रू. 26,08,312.56 बनती हैं एवं कार्य की अधिक राशि रू0 18,87,086.21 बनती है कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 22.00 लाख है अतः उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू0 69,99,519.52 की आवश्यकता है। अतः रू0 69,99,519.52 संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा अधिक एवं अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

2 हरिजन बस्ती वार्ड सं. 54 मे सामुदायिक भवन का कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (26)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स संदीप परिहार से इस कार्य से उक्त कार्य 43.80 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि रॉकफेसिंग की जगह सामुदायिक भवन के आगे Kadar Lirri लगवाई जाये एवं टाईल्स कार्य इत्यादि बढवाकर इसी कार्य के अंतर्गत करवाया जाए। अतः कार्य को करवाने के लिये अतिरिक्त राशि रू. 8,97,636.99 बनती हैं एवं कार्यो की अधिक राशि रू0 80,152.18की बनती है। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 10.30 लाख है अतः उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू0 12,69,644.96 की आवश्यकता होगी। अतः रू0 2,39,644.96 संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 8,97,636.99 की अतिरिक्त राशि एवं रू. 80,152/– की अधिक राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

3 बाबा रामदेव मंदिर अम्बाला बेरा के पास सामुदायिक भवन का कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (47)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स प्रभु कन्स. से इस कार्य से उक्त कार्य प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

मेघवाल समाज सेवा समिति का अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि जिसमें जनप्रतिनिधियो द्वारा बाथरूम टाईल्स एवं अतिरिक्त छोटा कमरा की मांग की हैं उपरोक्त कार्य अभी प्रगतिरत कार्य के अंदर ही करवाए जाने की मांग की है। अतः उपरोक्त कार्य को करवाने के लिए रू0 3,53,182.31 की अतिरिक्त राशि एवं रू0 7,72,166.70 की अधिक राशि बनती है।

कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 13.00 लाख है अतः उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू0 24,01,779.41/– की आवश्यकता होगी। अतः रू0 24,01,779.41/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रू. 3,53,182.31 अतिरिक्त राशि एवं रू. 7,72,166.70 अधिक राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

4 मंडोर ओवर ब्रिज से गोपी का बेरा तक सडक पर फुटपाथ एवं डिवाईडर का कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (90)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स सुखसिह परिहार से इस कार्य से उक्त कार्य 8.21 बिलो व एच शेडयुल में करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि फुटपाथ मे मोटी thickness की टाईल्स एवं पेडपौधे के लिए जाली लगवाई जाए एवं फुटपाथ का दायरा भी बढाया जावे। उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिए रू. 1321913.69 की अधिक राशि एवं रू0 20,11,210.69 की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 26.20 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 54,75,451/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 54,75,452/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रू. 13,21,913.69 अधिक राशि एवं रू. 20,11,210.69 अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित

प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

5 गुलजार नगर बिचला बास न्यु परिहार नगर मे सडको का निर्माण कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (15)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स मनोहर सिह से इस कार्य से उक्त कार्य 7 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर निर्देश दिये कि यह कार्य भी इसी कार्य के साथ में सम्पादित करवा दिये जाये। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 149.00 लाख की हैं। उक्त कार्य करवाने पर अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 60.00 लाख की आवश्यकता है। अतः संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतिरू. 209.00 लाख एवं कुल अधिक कार्य रू. 80. 00 लाख की हेतु स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

6 आर्फन चिल्ड्रन हाउस रूपनगर मे सामुदायिक भवन का भोश कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (156)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स एन.एम. कन्स. कं. से इस कार्य से उक्त कार्य 19.98 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई कि उपरोक्त कार्य के अंतर्गत ही एक ओर हॉल एवं चार दीवारी उंची करवाया जावे। टाईल्स लगवाई जाए मार्बल फ्लोरिंग बढाई जावे बताया गया। उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 43,64,023/– की अधिक राशि एवं रू. 25,52,578/– की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 26.60 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 94,27,973/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 94,27,973/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 43,64,023/– अधिक राशि एवं रू. 25,52,578/– अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में

प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

7 रूपवाटिका मे विकास कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (158)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स जे.एस.के. इन्टरप्राईजेज से इस कार्य से उक्त कार्य 17.51 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई कि उक्त कार्य के अंतर्गत ही Sanitary Fitting, Tiles Flooring, Plaster, R.R. Stone Masonry work का दायरा बढवाया जावे। उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 12,40,219/– की अधिक राशि एवं रू. 19,66,791/– की अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 47.00 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 85,01,679/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 85,01,679/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 12,40,219/– अधिक राशि एवं रू. 19,66,791/– अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

8 खटिक समाज शमशान महामंदिर मे विकास कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (74)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राईजेज से इस कार्य से उक्त कार्य 18 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उक्त हॉल के निर्माण कार्य के साथ ही इंटरलोकिंग टाईल्स एवं प्रथम तल पर कमरो का निर्माण कार्य एवं चार दीवारी का निर्माण कार्य इसी कार्य के अन्तर्गत जो कि प्रगतिरत है करवाया जावे। उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 33,81,134/– की अधिक राशि एवं रू. 11,79,959/– की अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 31.53 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 77,87,999.41/– की संशोधित वितीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 77,87,999.41/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. रू. 33,81,134/– की अधिक राशि एवं रू. 11,79,959/– अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

9 रामनगर वार्ड नं0 59 में नाला कवरिंग का कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (16)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स राकेश बिल्डर्स से इस कार्य से उक्त कार्य 9.99 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया।

क्षेत्रीय पार्षद का अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उक्त नाले कवरिंग के कार्य के साथ ही गैस गोदाम के पास पुलिया निर्माण कार्य इसी कार्य के अन्तर्गत जो कि प्रगतिरत है करवाया जावे। उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 10,07,125/– की अधिक राशि एवं रू. 85,550/– की अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 15.35 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 27,05,395/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 27,05,395/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 10,07,125/– की अधिक राशि एवं रू. 85,550/– की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

10 तिलक नगर प्रथम मे सामुदायिक भवन का शेष कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (50)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स राकेश बिल्डर्स से इस कार्य से उक्त कार्य 7.84 प्रतिशत अबोउ में करवाया जा रहा है।

क्षेत्रीय पार्षद का अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उक्त सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य साथ ही प्रथम तल पर कमरो एवं शौचालय का निर्माण इसी कार्य के अन्तर्गत जो कि प्रगतिरत है करवाया जावे। उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 9,89,582/– की अधिक राशि एवं रू. 7,81,965/– की अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 36.00 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 54,92,125/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 54,92,125/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 9,89,582/– की अधिक राशि एवं रू. 7,81,965/– की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व

अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

11 वीर तेजा कॉलोनी ए व बी में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (61)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स नरपत कन्स. कं. से इस कार्य से उक्त कार्य 19.99 प्रतिशत अबोउ में करवाया जा रहा है।

क्षेत्रीय पार्षद का अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उक्त सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य साथ ही मुख्यद्वार एवं चार दीवारी मरम्मत व चबुतरे का निर्माण इसी कार्य के अन्तर्गत जो कि प्रगतिरत है करवाया जावे उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 4,40,627/– की अधिक राशि एवं रू. 12,18,405/– की अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 18.00 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 33,54,118/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 33,54,118/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. रू. 4,40,627/– की अधिक राशि एवं रू. 12,18,405/– की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त/अधिक कार्यों का विवरण, अतिरिक्त आईटमों व क्षेत्रों का विवरण, कार्य पूर्णता की स्थिति तथा निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं है। एजेण्डा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया।

बैठक में इस बिन्दु पर सभी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने एवं निदेशक–अभियांत्रिक स्तर पर जांच व स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निदेशक–अभियांत्रिक अधिक कार्य व अतिरिक्त कार्य के तकनीकी औचित्य का परीक्षण करें एवं यदि पत्रावली पर निदेशक–अभियांत्रिक अनुशंषा करते हैं तो अधिक कार्य/अतिरिक्त कार्य आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत कर दिया जावे।

B 90 दिवस से अधिक से विलम्ब होने पर कार्यादेश स्वीकृति हेतु।

1 राजीव गांधी कॉलोनी भाटी चौराहा मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य (विधायक मद)

प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 15 मे आईटम सं. 1 में एक ही फर्म की कॉपी प्राप्त हुई है जिसमें मैसर्स फादर्स कन्स. कं. की दर 21.00 प्रतिशत अबोउ थी। नेगोशियेशन पश्चात संवेदक द्वारा 19.99 प्रतिशत संशोधित दर प्रस्तुत की। कार्यादेश हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के कारण संवेदक को कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्ताव में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिक का विवरण, दर विश्लेषण एवं निदेशक–अभियांत्रिकी की स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा नहीं हैं।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय

लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: जोन पूर्व में विकास कार्यों के संबंध में।

1.	कार्य का नाम	प्रभात नगर (नांदडी क्षेत्र) में सडक निर्माण कार्य। F38(21)/2012-13
2.	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक दिनांक व स्वीकृत राशि	No. :- JDA/A&F/TA to DE/2011-12 / 625 Dated :- 27.03.2012 Rs. 15.50 Lacs No. :- JDA/A&F/TA to DE/2012-13 / 854 Dated :- 20.09.2012 Rs. 22.46 Lacs Total Rs. 37.96 Lacs
3.	स्वीकृत 'जी' शिड्यूल एवं 'एच' शिड्यूल के अनुसार निर्धारित कार्य/सामग्री की मात्रा	संलग्न अनुसार
4.	अधिक कार्य का विवरण	रू. 23,53,535/–
5.	कार्य में अधिक होने का कारण	अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना में अधिक कार्य करवाया गया।
6.	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है	कार्य प्रगति पर है।
7.	शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	कार्यकारी समिति बैठक

अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना में चल रहे कार्य के साथ ही शेष सड़को के निर्माण कराने के कारण अधिक कार्य हुआ। इस कार्य कि मूल प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति रूपये 15.50 लाख व संशोधित रूपये 24.46 लाख कुल रूपये 37.96 लाख की आयुक्त महोदय द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त अधिक कार्य स्वीकृती हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बांद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

1	कार्य का नाम	जयपुर रोड से तुलसी मेडिकल स्टोर तक सडक निर्माण का कार्य। F38(13)/2012-13
2.	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक दिनांक व स्वीकृत राशि	No. :- JDA/A&F/TA to DE/2012-13 / 30 Dated :- 13.04.212 Rs. 9.07 Lacs No. :- JDA/A&F/TA to DE/2012-13 / 858 Dated :- 20.09.2012 Rs. 11.28 Lacs Total Rs. 20.35 Lacs

3.	स्वीकृत 'जी' शिड्यूल एवं 'एच' शिड्यूल के अनुसार निर्धारित कार्य/सामग्री की मात्रा	संलग्न अनुसार
4.	अधिक कार्य का विवरण	रू. 10,43,716.88/–
5.	कार्य में अधिक होने का कारण	अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना में अधिक कार्य करवाया गया।
6.	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है	कार्य प्रगति पर है।
7.	शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	कार्यकारी समिति बैठक

अध्यक्ष महोदय के निर्देशो की पालना में चल रहे कार्य के साथ ही शेष सड़को के निर्माण कराने के कारण अधिक कार्य हुआं। इस कार्य कि मूल प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति रूपये 9.07 लाख व संशोधित रूपये 11.28 लाख कुल रूपये 20.35 लाख की आयुक्त महोदय द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त अधिक कार्य स्वीकृती हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा अभियांत्रिक शाखा द्वारा कतिपय प्रकरण अधिक व अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। उक्त अतिरिक्त/अधिक के प्रस्ताव की स्वीकृति की अधिकारिता निदेशक–अभियांत्रिक/आयुक्त स्तर की है। अतः बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन प्रकरणों को निदेशक–अभियांत्रिक परीक्षण कर अपने स्तर पर स्वीकृति प्रदान करेंगे और यदि शिड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार आवश्यक हो तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या 13 (1) :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1525/1033 (पुराना खसरा संख्या 1033/740 मीन) रकबा 14 बिस्वा 1 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री निशार मोहम्मद पुत्र श्री रमजान मोहम्मद, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, चांदणा भाकर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 137/2010

आवेदक श्री निशार मोहम्मद पुत्र श्री रमजान मोहम्मद, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, चांदणा भाकर, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1525/1033 (पुराना खसरा संख्या 1033/740 मीन) रकबा 14 बिस्वा 1 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार–पत्रों में किया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित स्थल पर औद्योगिक इकाई चल रही है। औद्योगिक इकाई में रंगाई छपाई का कार्य चल रहा है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार भू–उपयोग मानचित्र जोधपुर के प्रस्तावोनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थित है। सम्पर्क सडक को 60 फीट रखा जाकर प्रकरण में विचार किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22

मई, 2012 में जरिये प्रस्ताव संख्या 30 (25) प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चितता की रिपोर्ट लेकर तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं पाया गया।

कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध आवेदक ने राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में अपील प्रस्तुत की। प्राधिकरण/नगर विकास न्यास से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 128वीं बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2012 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, "प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को दो माह की अवधि में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में पुनः रखा जाकर प्रार्थी की सुनवाई कर स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया गया।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को विचारणीय मानते हुए निर्णय लिया गया कि प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से पूर्व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की राय/अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है। अतः क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखा जावे तथा उपायुक्त–दक्षिण आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परिपत्र के संदर्भ में रास्ते की चौडाई संबंधी तथ्यात्मक स्थिति एवं अनुशंषा प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 (2) :: ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय/पेरिफेरी बैल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 140/2010

आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत ने ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 26/5 की 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय/पेरीफेरी बैल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/5 का जोधपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुसार भू–उपयोग ओ.सी.एफ. आरक्षित है। खसरा संख्या 26/5 मुख्य सडक पर स्थित है। गीताधाम सिटी व आवासीय योजनाओं के लगते विद्यमान व संचालित है। मुख्य सालावास जोधपुर सडक की मास्टर प्लान के अनुसार चौडाई 200 फीट आरक्षित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के कम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को जरिये प्रस्ताव संख्या 6 (18) प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि, "आवेदित प्रकरण ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का है, जो प्राधिकरण स्तर पर प्रतिबंधित प्रकरणों की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।"

समिति के उक्त निर्णय के कम में प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। जिसके कम में राज्य सरकार ने जरिये पत्र कमांक प. 3 (52) नविवि/3/2012 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा ग्राम तनावडा खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

आयोजना शाखा द्वारा जांच न की जाकर निर्धारित प्रारूप में चेक लिस्ट मय अनुशंषा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में निदेशक–आयोजना द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट में अंकित बिन्दुवार जॉच नहीं की गयी है। अतः निदेशक–आयोजना बिन्दुवार चैक लिस्ट तेयार कर प्रस्तुत करें साथ ही प्रकरण में यह स्थिति भी स्पष्ट की जावे कि प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन पेरीफेरी कण्ट्रौल बेल्ट से औद्योगिक प्रयोजन के लिए तो नहीं किया जा रहा है।

प्रस्ताव संख्या 13 (3) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 316/47, 316/56, 317/1 रकबा 12.61 बीघा अर्थात् 17524.24 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से रिसोर्ट/होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक मैसर्स सनसिटी स्पोटर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहूल पाराशर पुत्र श्री रोशनलाल, अमर स्पोटर्स गोल बिल्डिंग, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 74/2012

आवेदक मैसर्स सनसिटी स्पोटर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहूल पाराशर पुत्र श्री रोशनलाल, अमर स्पोटर्स गोल बिल्डिंग, जोधपुर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 316/47, 316/56, 317/1 रकबा 12.61 बीघा अर्थात् 17524.24 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से रिसोर्ट/होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 26 जुलाई, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाल के खसरा संख्या 316/47, 316/56 व 317/1 का कुल रकबा 15.00 बीघा भूमि में से 12.12 बीघा भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त खसरे में निर्माण प्रस्तुत ले–आऊट प्लान अनुसार पाया गया तथा प्लान अनुसार 80 फीट रोड मुडिया (ग्रेवल सडक) बनी हुई है। उक्त खसरे की चार दीवारी की हुई भूमि है तथा उक्त खसरे की भूमि में से एच.टी. व एल.टी. लाईन नहीं है। खसरे में पहुंचने के लिए सडक बनी हुई है। खसरा संख्या 316/47, 316/56 व 317/1 के खातेदार मैसर्स सनसिटी स्पोटर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 17,524.24 वर्ग मीटर भूमि है। अतः प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग समिति की अधिकारिता का है। आयोजना शाखा द्वारा जांच न की जाकर निर्धारित प्रारूप में चेक लिस्ट मय अनुशंषा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्देश दिये गये कि निदेशक–आयोजना अपने स्तर पर प्रकरण की गहनता से जॉच करें और आगामी बैठक में सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 (4) :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 16 व 16/1 रकबा 12868.82 वर्ग मीटर भूमि का पर्यटन सुविधा से ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ

भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती उगमा देवी पत्नि स्व. श्री रामचन्द्र डागा, श्री राजकुमार लोहिया पुत्र श्री सोहनलाल एवं श्रीमती सरोज भूतडा पत्नि श्री रमेश भूतडा। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 47/2012

आवेदक श्रीमती उगमा देवी पत्नि स्व. श्री रामचन्द्र डागा, श्री राजकुमार लोहिया पुत्र श्री सोहनलाल एवं श्रीमती सरोज भूतडा पत्नि श्री रमेश भूतडा। ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 16 व 16/1 रकबा 12868.82 वर्ग मीटर भूमि का पर्यटन सुविधा से ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 27 मई, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में चैयरमैन एवं सेकेट्री, लिगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर व मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने आपत्ति प्रस्तुत की। प्राप्त आपत्ति के कम में आपत्तिकर्ता को जरिये पत्र (स्पीड पोस्ट) कमांक 1033 दिनांक 20 जुलाई, 2012 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 जुलाई, 2012 को उपायुक्त–दक्षिण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया। लेकिन आपत्तिकर्ता निर्धारित तिथि व समय को उपस्थित नहीं आये तथा न ही उपस्थित नहीं होने का कारण ही अवगत कराया तथा न ही कोई और दस्तावेज/सबूत अपनी आपत्ति के संबंध में प्रस्तुत किये।

आपत्ति के संबंध में निदेशक–विधि से राय ली गयी। निदेशक–विधि की राय के अनुसार उक्त आपत्ति में प्रार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों के दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं, उक्त दृष्टान्त को वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में नहीं लागू किया जा सकता है। वर्तमान नियमों में जेडीए को भू–उपयोग परिवर्तन के अधिकार प्रदत्त है, अतः भू–उपयोग परिवर्तन, नियमों के अधीन करने में प्राधिकरण स्वतंत्र है। इसके उपरान्त गुलाब कोठारी के विभिन्न आदेशों के परिपेक्ष्य में भू–उपयोग परिवर्तन करना उचित होगा।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये ग्रुप हाऊसिंग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन वाले भाग का क्षेत्रफल 7 बीघा 19 बिस्वा है। मेरी राय के अनुसार आसपास के क्षेत्र व मौका स्थिति को देखते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 12868.82 वर्ग मीटर भूमि है। अतः प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग समिति की अधिकारिता का है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्देश दिये गये कि निदेशक–आयोजना अपने स्तर पर प्रकरण की गहनता से जॉच करें और आगामी बैठक में सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 (5) :: ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 141, 141/1, 141/2, 141/3, 178, 178/1, 179/1, 179/2, 183 वगैरह प्लाट संख्या कॉमियर्शल–ए क्षेत्रफल 6551 वर्ग मीटर भूमि का 6551 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक से अस्पताल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक के.डी.जे. होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड जरिये श्री मोहन सिंह सांजू। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 89/2012

आवेदक के.डी.जे. होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड जरिये श्री मोहन सिंह सांजू ने ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 141, 141/1, 141/2, 141/3, 178, 178/1, 179/1, 179/2, 183 वगैरह प्लाट संख्या कॉमियर्शल–ए क्षेत्रफल 6551 वर्ग मीटर भूमि का 6551 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक से अस्पताल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में 26 जुलाई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा कामियर्शल पट्टा (पर्यटन यूनिट–ए) का प्राप्त किया जा चुका है। जिसका क्षेत्रफल 6550.86 वर्ग मीटर है। आवेदनकर्ता पर्यटन यूनिट से होस्पीटल हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया है। होस्पीटल राज्य सरकार के नियमानुसार कम से कम 60 फीट चौडी सडक आवश्यक है। जिसे आवेदनकर्ता द्वारा साईट प्लान में दर्शाया गया है तथा साईट प्लान में 60 फीट चौडी पर जारी किया गया है।

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 6551 वर्ग मीटर है। अतः प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग समिति की अधिकारिता का है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का पट्टा विलेख पर्यटन यूनिट का जारी है। अतः यदि इस हेतु कोई शुल्क इत्यादि नियमानुसार देय है, तो वह आवेदक को नियमानुसार जमा कराना होगा इसी शर्त के साथ प्रकरण में प्राधिकरण की भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 (6) :: ग्राम बासनी तम्बोलियान के खसरा संख्या 59/1, 60, 62 से 65 रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि के सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पालना के संबंध में।

आवेदक श्री भीरमराम द्वारा ग्राम बासनी तम्बोलियान के खसरा संख्या 59/1, 60, 62 से 65 रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि के सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किया गया।

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति एवं निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र कमांक द्वारा टीपीआर 1120/एसएलसी/126/2012/10441 दिनांक 8 अगस्त, 2012 द्वारा सूचित किया है कि राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 126वीं बैठक दिनांक 19 जून, 2012 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संलग्न कर लौटाई जा रही है। कृपया प्रकरण के संबंध में जारी कार्यवाही विवरण अनुसार प्रकरण के संबंध में समस्त सूचनाएं वर्तमान परिपेक्ष्य में पुनः तैयार कर निर्धारित चैक लिस्ट "अ" व "ब" सहित कार्यकारी समिति की स्पष्ट अभिशंषा, फाईरिंग रेंज के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गूगल ईमेज की प्रमाणित प्रति के साथ नई पत्रावली भिजवाने बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। प्रकरण इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआं।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में वांछित दस्तावेज व चैक लिस्ट तेयार की जावे एवं उपयुक्त पाये जाने पर निदेशक–आयोजना व सचिव

के स्तर पर जॉच के पश्चात् प्राधिकरण की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 (7) :: गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना के संबंध में।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2012 में भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित प्रकरणों मे गठित समिति की रिपोर्ट/रीको से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया हैं। लेकिन वांछित अनापत्ति–पत्र/रिपोर्ट अप्राप्त हैं। जो निम्नानुसार है:–

1– राजस्व ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु प्राप्त निम्नलिखित प्रकरण:–

क्र.सं	प्रकरण संख्या	वर्ष	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण	आवेदित क्षेत्रफल	वर्तमान भू–उपयोग
1	111	10	श्री प्रकाश बागरेचा पुत्र श्री बख्तावर मल जी निवासी 2/3, पोलो द्वितीय, पावटा, जोधपुर	खसरा संख्या 468/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1560.37 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
2	112	10	श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री रमेश जैन निवासी 2/3 पोलो द्वितीय, पावटा, जोधपर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1582.31 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
3	113	10	श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री बख्तावर मल निवासी 2/3	खसरा संख्या 292/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1672.22 वर्ग मीटर	आवासीय
4	133	10	सनसिटी होर्डिंग एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 26/28, मुम्बई व प्रशासनिक कार्यालय मार्फत अधिकृत संचालक श्री राजीव भण्डारी पुत्र श्री रूपचन्द भण्डारी ई–42, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 497 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वांशी	शैक्षणिक (कॉलेज)
5	141	10	श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1579.92 वर्ग मीटर	शैक्षणिक (कॉलेज)
6	142	10	श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री सुखदेव निवासी 1प12 मधुबन कॉलोनी, जोाधपुर	खसरा संख्या 467 पाल (धिनाणा की ढाणी)	1712.33 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
7	143	10	श्री पवित्र पुत्र श्री जेठमल, श्रीमती मंजू पत्नि श्री जेठमल गुलेच्छा निवासी 269 चौथी बी रोड, सरदारपुरा	खसरा संख्या 468/1, 470 पाल (धिनाणा की ढाणी)	2469.44 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
8	144	10	श्री अनिल गोलेच्छा पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जी–73, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2523.45 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
9	145	10	श्री अनिल कुमार बोथ्रा पुत्र श्री नानक दास निवासी 218, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2322.22 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
10	146	10	श्री कल्पित बोथरा पुत्र श्री जसराज निवासी 218, नरपतनगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 467, पाल (धिनाणा की	1988.88 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)

				ढाणी)		
11	147	10	श्री गोपाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, पाल, जोधपुर	खसरा सख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1888 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
12	148	10	श्रीमती पुष्पा चुगलानी पत्नि श्री रमेश चुगलानी निवासी 1अ14 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	3607.3 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
13	149	10	श्री संदीप गोलेच्छा पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जी–73, शास्त्रीनगर, जोधपुर	खसरा संख्या 468/1, 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2538.88 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
14	150	10	श्री जसराम पुत्र श्री नानक दास बोथरा निवासी 218, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2607.22 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
15	151	10	श्री ओमाराम पुत्र श्री नारायण राम निवासी धिनाणा की ढाणी, जोधपुर	खसरा सख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1888.88 वर्गगज	शैक्षणिक (कॉलेज)
16	152	10	श्रीमती मंजू सालेचा पत्नि श्री पदम सालेचा निवासी पारख पेट्रौल पम्प के पीछे, पावटा बी रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2111.11 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
17	154	10	श्री संदीप सोलंकी पुत्र श्री नरपत चन्द निवासी 235, प्रथम फेज, सांगरिया, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	507.50 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
18	155	10	श्री प्रमोद कमार पुत्र श्री मोहन राज चौपडा निवासी भगवान महावीर नगर पाल लिंक रोड, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1192.12 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
19	156	10	श्री राजेश डागा पुत्र श्री जवरी मल निवासी वाचनालय के पास, आडा बाजार, जोधपुर	खसरा संख्या 470 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	451.38 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
20	157	10	श्रीमती दौलत कंवर पत्नि श्री टी. पारसमल चौधरी निवासी दवे कॉम्प्लेक्स, 144/सीएएससी बोस रोड, चैन्नई हाल निवासी पावटा पालो जोधपुर	खसरा संख्या 468/1 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2029.44 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
21	158	10	श्री कुलसुम बानो पत्नि श्री अब्दुल मजीद व श्रीमती फरजाना पत्नि श्री मोहम्मद अनवर निवासी नई सडक, जोधपुर	खसरा संख्या 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	1933.93 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)
22	159	10	श्रीमती वीणा धनाडिया पत्नि श्री नन्दकिशोर निवासी धिनाणा की ढाणी, जोधपुर	खसरा संख्या 470, 467 ग्राम पाल (धिनाणा की ढाणी)	2129.29 वर्ग गज	शैक्षणिक (कॉलेज)

2– राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स, जोधपुर। प्रकरण संख्या 129/2012

3– मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, क्षेत्रफल 4530.66 वर्ग मीटर, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 143/2011

4– राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकबा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोधपुर। प्रकरण संख्या 13/2012

5– श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 184/2010

7– राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 मीन की 20857 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 44/2012

8– ग्राम डोली के खसरा संख्या 306/1 मीन के रकबा 1225 वर्ग मीटर भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती नीता आहूजा पत्नि श्री अनिल कुमार आहूजा निवासी ए–108, शंकर नगर, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के पास, जोधपुर। प्रकरण संख्या 188/2010

9– ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्ग मीटर भूमि का पर्यटन इकाई से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। आवेदक श्रीमती सुशीला पत्नि श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नांदडी कला, जोधपुर। प्रकरण संख्या 20/2012

बैठक में उपरोक्त समस्त प्रकरणों वांछित रिपोर्ट आगामी 7 दिवस में पेश की जावे। इस संबंध में निदेशक–आयोजना (प्रभारी अधिकारी, भू–उपयोग परिवर्तन शाखा) समुचित कार्यवाही करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: भूखण्ड संख्या ए–459, राजीव गांधी नगर योजना के संबंध में।

1– आवंटित भूखण्ड एवं योजना का नाम –
ए–459, राजीव गाँधी नगर, जोधपुर।

2– आवंटन की तिथि व क्रमांक –
15–फरवरी–2010

3– आवंटन के लिए विसंगती का विवरण –

4– बिन्दू जो कार्यकारी समिति या प्राधिकरण के स्तर पर लिया जाना है –

श्री मूल सिंह राठौड़ को भूखण्ड संख्या ए–459 राजीव गाँधी नगर योजना में दिनांक 22.03.2010 को आवंटन पत्र जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाया गया। डाक विभाग से ए.डी. कार्ड पर दशरथ सिंह नाम के व्यक्ति का हस्ताक्षरयुक्त ए.डी. कार्ड प्राप्त हुआ। जबकि श्री मूलसिंह राठौड़ नें निरन्तर पत्राचार कर आवंटन–पत्र प्राप्त नहीं होनें का लिखा। आवंटी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, भूखण्ड की बकाया राशि रू. 8,03,850/– जरिए रसीद संख्या 9001/34210 दिनांक 09.11.2011 को जमा की गई। देरी से जमा कराई गई राशि का 330/– रूपये प्रतिदिन की दर से कुल 591 दिनों की ब्याज राशि रू. 1,95,030/– एवं 10 प्रतिशत शास्ती रू. 80,310/– का चालान कार्यालय से जारी किया गया। आवंटी द्वारा ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाकर केवल पत्राचार ही किया जा रहा है। लीज–डीड जारी करनें की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति में निर्णय लिया जाना है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति देय होने से ब्याज व शास्ति वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजस्व ग्राम मोगडा कला के खसरा संख्या 213 पर प्रस्तावित योजना के संबंध में।

1– राजस्व ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा संख्या 213 जिसका कुल रकबा 114. 67 बीघा अर्थात् 185687 वर्गमीटर हैं, पर एक आवासीय योजना बनायी जानी प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत जोधपुर जिले में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना में विभिन्न आकार के कुल 476 भूखण्डों का प्रावधान किया गया हैं। अतः इस बाबत् प्रस्ताव कार्यकारी समिति में प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि भूखण्डों के आवंटन हेतु लॉटरी की प्रक्रिया किस प्रकार रखी जानी है– Manual या Compuerised ?

2– राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानो अनुसार किसी भी योजना क्षैत्र के कुल भूखण्डों में से 75 प्रतिशत आवंटन से एवं शेष 25 प्रतिशत नीलामी से निस्तारित किए जानें है। उक्तानुसार 25 प्रतिशत भूखण्डों को नीलामी से विक्रय किया जाना हैं। अतः इस बाबत् प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष स्पष्ट मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बिन्दु संख्या–1 के कम में लॉटरी प्रकिया Manual किये जाने का निर्णय लिया तथा बिन्दु संख्या–2 के कम में सभी के लिए खुली नीलामी से विकय किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री रमेश बाबू दवे पुत्र श्री दीनदयाल दवे को कियोस्क संख्या 2 लालसागर आवंटन करने के संबंध में।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा श्री रमेश बाबू दवे पुत्र श्री दीनदयाल दवे को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2000 को लॉटरी द्वारा कियोस्क संख्या 2 लालसागर हुडको आवंटन लॉटरी में खुला था जिसकी सूचना प्रार्थी को कार्यालय आदेश कमांक 409 दिनांक 16 दिसम्बर, 2000 में कियोस्क की राशि 8000/– जमा कराने हेतु सूचना जारी की गयी थी। उक्त राशि न जमा करवाने पर प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक कियोस्क/120 दिनांक 3 मई, 2001 के द्वारा रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से पुनः सूचित किया गया उक्त सूचना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि 7 दिवस में मांगी गई राशि 8000/– न्यास कार्यालय में जमा करावें अन्यथा यह मानते हुए कि आप आवंटित कियोस्क लेने के इच्छुक नहीं है तथा आपका आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तत्पश्चात् आवेदनकर्ता को कार्यालय के पत्रांक एफ. 2003/53 दिनांक

8 अप्रैल, 2003 के द्वारा अंतिम नोटिस 7 दिवस में राशि जमा कराने का दिया गया परन्तु प्रार्थी ने आज दिनांक तक चाही गई राशि कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई। उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्र कमांक एफ. 55 (310) एसई/ स्था.नि./ ज.सा.रो. / 2005/ 935–1119 दिनांक 14 जून, 2005 के बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये है कि जिन आवेदकों द्वारा कियोस्क/भूमि आवंटन किये जाने के बावजूद कब्जा नहीं किया गया है अथवा व्यवसाय प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है ऐसा सभी आवंटियों को नियमानुसार नोटिस देकर 31 मार्च, 2005 तक कियोस्क/भूमि आवंटन निरस्त करने का उल्लेख है। लेकिन प्रार्थी को निरस्तीकरण नोटिस जारी नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी पूर्व में आवंटित कियोस्क की राशि जमा करवाना चाहता है। प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया तथा भविष्य में राशि जमा कराने हेतु जारी किये जाने वाले नोटिस के प्रारूप में यह तथ्य अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया कि यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराते हैं तो भूखण्ड स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, का अंकन अवश्य किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 49, सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया योजना के संबंध में।

तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा लॉटरी दिनांक 25.04.2008 के द्वारा भूखण्ड संख्य 49 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया का श्री शांती चंद लुकंड को साईज 40*60 का दिया गया आवंटी ने भूखण्ड की राशि रू 20000/– डी.डी संख्या 003626 दिनांक 21.02.2008 को एंव 318463/– रसिद संख्या 0037458 दिनांक 23.06.2008 को जमा करवाये गये आवंटी के लीज डीड वास्ते आवेदन करने पर कनिष्ठ अभियंता की मौका रिर्पोट मंगवाई गयी एंव कनिष्ठ अभियंता की मौका रिर्पोट के अनुसार मौके पर भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 367.32 वर्ग मीटर हो गया। जो आंवटित भूखण्ड़ से अधिक है। आवंटी भूखण्ड़ की लीज डीड की मांग कर रहा है। आवंटित भूखण्ड़ से अधिक क्षेत्रफल 144.86 वर्ग.मी कार्यकारी समिति सक्षम निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय्य लिया गया कि आवंटी को आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिया जावे। अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए वर्तमान आरक्षित दर के दुगनी दर से यदि राशि जमा कराने को आवंटी सहमत हो तो आवंटन कर दिया जावे अन्यथा अतिरिक्त क्षेत्रफल का अतिरिक्त भूखण्ड सृजित किया जाकर नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित आवासगृह गाडिया लौहार परिवारों को आवंटन के संबंध में।

वर्ष 2012 में 60 गाडिया लौहारों को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित आवास आवंटित किये गये थे। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17 दिसमबर,, 2012 को आम सूचना प्रकाशन कर राशि जमा कराने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। जिनमें से 8 आवेदकों द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राशि जमा कराने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार मांग पत्र जारी किये गये थे जिनमें से 6 व्यक्तियों द्वारा निर्धारित समय में राशि जमा कर लीज डीड जारी कर दी गयी शेष व्यक्तियों द्वारा सहमति नहीं दी गयी। आवास स्वतः निरस्त की आम सूचना प्रकाशन करवाई गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि निर्धारित समयावधि में सहमति प्रस्तुत करें अन्यथा स्वतः निरस्त समझा जावेगा। वर्तमान में मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित आवासगृहों में करीब 80–82 गाडिया लोहारों का परिवार निवास कर रहा है। राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (176) नविवि/3/84 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 के प्रदत्त निर्देशानुसार जो गाडिया लोहार पाता रखते हैं उन्हें रियायती दर पर आवास

आवंटन करने का उल्लेख है एवं जो व्यक्ति पात्रता नहीं रखते हैं उन्हें आरक्षित दर पर आवास आवंटित करने का उल्लेख किया गया है।

जिन 60 गाडिया लोहार परिवारों को भूखण्ड आवंटित किया जाना हैं उनका मौके पर क्वाटर्स पर कब्जा नहीं है। मौके पर दूसरे गाडिया लोहारों के परिवार का कब्जा है एवं वे आवासगृह आवंटन की मांग कर रहे हैं। अतः किनको किस प्रकार का आवासगृह का आवंटन किया जावे, इस संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से काबिज गाडिया लौहारों को आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा जिन गाडिया लोहारों को आवंटित आवासगृह का कब्जा नहीं दिया जा सकता है, उनके संबंध में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर उन्हें बासनी तम्बोलिया में आवासगृह आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: विवेक विहार योजनान्तर्गत अवार्ड संख्या 243/26/1 व अवार्ड संख्या 243/25 में आवंटित भूखण्ड़ों पर कब्जा व कुछ भूखण्ड 100 मीटर परिधि में ना होने से बदलने बाबत।

निम्नलिखित अवार्डधारक ऋतु सुराणा पुत्र श्री विमल सुराणा व श्री जवाहर सुराणा ने प्रार्थना–पत्र पेश कर इन्हें आवंटित भूखण्डों में निम्न आपत्तियां दायर कर आवंटित भूखण्डों के स्थान पर अन्य भूखण्ड सेक्टर–ए में चाहा है:–

अवार्ड संख्या 243/26/1

अवार्ड धारक का नाम ऋतु सुराणा पुत्री श्री विमल सुराणा

अंतिम मुआवजा सूची के अनुसार देय मुआवजा 583.33 वर्ग गज आवासी लॉटरी अनुसार विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड ए–58 रकबा 350 वर्ग गज व ए–291 रकबा 233.33 वर्ग गज कुल रकबा 583.33 वर्ग गज।

उक्त आवंटित भूखण्ड संख्या ए–58 रकबा 350 वर्ग गज के संबंध में अवार्डी ने जरिये श्री जवाहर सुराणा ने निवेदन किया है कि भूखण्ड संख्या ए–58 पर अवैध कब्जा है। अतः प्राधिकरण या तो कब्जा हटावे अथवा इसके स्थान पर 100 मीटर व्यास की दूरी तक कोई अन्य खाली भूखण्ड उपलब्ध कराया जावे।

अवार्ड संख्या 243/25

अवार्ड धारक का नाम श्री जवाहर सुराणा

अन्तिम मुआवजा में सूची के अनुसार देय मुआवजा 1396.86 वर्ग गज आवासीय लॉटरी अनुसार आवंटित भूखण्ड संख्या ए–87 रकबा 350 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या ए–98 रकबा 350 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या ए–97 रकबा 350, भूखण्ड संख्या ए–559 रकबा 311.11 वर्ग गज कुल 1361.11 वर्ग गज।

उक्त आवंटित भूखण्ड में से अवार्डी श्री जवाहर सुराणा द्वारा अवगत करवाया गया कि आवंटित भूखण्ड संख्या ए–97 व ए–98 पर पक्के निर्माण एवं अवैध कब्जे हैं व आवंटित भूखण्ड संख्या ए–599 100 मीटर दायरे के बाहर 500 मीटर दायरे में हैं। अतः उक्त आवंटित भूखण्ड

संख्या ए–599 स्वीकार नहीं है। अतः इसके स्थान पर अन्य भूखण्ड 100 मीटर दायरे में उपलब्ध करवाया जावे।

सेक्टर–ए विवेक विहार योजना में कार्यरत् कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द बोहरा ने अपनी भौतिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि भूखण्ड संख्या ए–58, ए–97 व ए–98 पर अवैध कब्जे व निर्माण है व अवार्डी के अवाप्त भूखण्डों के 100 मीटर दायरे में वर्तमान योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 26 व 50 से 107 आते हैं। उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए अवार्डियों को पूर्व में आवंटित भूखण्ड अगर बदले जाते हैं तो उन्हें 1 से 26 व 50 से 107 में शेष/खाली रहे भूखण्डों में से आवंटित किये जाने हैं। तहसीलदार–दक्षिण द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2012 को सेक्टर–ए में कॉर्नर भूखण्डों के अलावा उपलब्ध भूखण्डों का विवरण दिया गया है जो निम्न प्रकार है:–

सेक्टर–ए
कॉर्नर भूखण्ड के अलावा उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	भूखण्ड का आकार (वर्ग गज में)	भूखण्ड संख्या
1.	15x30 (50)	201, 203, 204, 527, 528, 531, 533, 536, 537, 539, 542, 543, 544, 546, 547, 548
2.	20x40 (88.88)	--
3.	20x50 (111.11)	--
4.	30x50 (166.66)	--
5.	30x60(200.00)	--
6.	35x60 (233.33)	225, 236, 238, 251, 262, 269, 311, 299, 319, 337, 340, 342, 346, 347, 348, 354, 355, 356, 359, 361, 364, 256
7.	40x60 (266.66)	333
8.	40x70 (311.11)	579, 599, 529
9.	45x70 (350.00)	40, 41, 46, 51, 62, 67, 78, 79, 93, 99, 102, 115, 116, 480, 505, 508, 512, 515, 523
10.	50x90 (500.00)	155

अतः अगर प्रार्थी के भूखण्डों को बदलने का निर्णय होता है तो उपरोक्त सूची में से भूखण्ड आवंटित किये जा सकते हैं।

प्रार्थी श्री जवाहर सुराणा ने अपने सुझाव अनुसार अवार्ड संख्या 243/26/1 में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–58 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–67 आवंटित किया जावे व अवार्ड संख्या 243/25 में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–97 व ए–98 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–51 व भूखण्ड संख्या ए–102 आवंटित किये जावे व भूखण्ड संख्या ए–599 जो करीब 500 मीटर दूर है उसे कृपया भूखण्ड संख्या ए–78 में से 347 वर्ग गज का भूखण्ड बनाकर आवंटित किया जाये। यहां उन्होंने अपने पत्र में उल्लेखित किया है कि भूखण्ड संख्या ए–78 की चौडाई 82 फीट व गहराई औसतन 72 फीट है इसलिए इस भूखण्ड के दो टुकडे किये जाने प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवंटित आवासगृहों के संबंध में।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार खसरा संख्या 824/751 पर रहवासीय व कब्जा सुदा भूखण्ड के बदले (एवज) मामा अचलेश्वर प्रसाद

2114-52
31/12

नगर सांगरिया आवासीय योजना में राज्य सरकार के पत्र कमांक प–3 (176) नविवि/3/84 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कब्जा व पक्ष में अन्य दस्तावेज के अनुसार स्वामित्व प्रमाणित होता है उन व्यक्तियों को रियायती दर पर आवास आवंटन किया जावे एवं जिनका कब्जा प्रमाणित नहीं होता है, उन्हें आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का उल्लेख है। उक्त बिन्दु कार्यकारी समिति निर्णय को दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 34 के बिन्दु 4 में यह निर्णय लिया गया कि दिनाांक 17 फरवरी, 2012 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए आवंटन पत्र के अनुसार लीज डीड जारी करने हेतु उपायुक्त–दक्षिण को निर्देशित किया गया है। आवंटन किस दर से लिया जाना है एवं लीज राशि किस दर से वसूल की जानी है, यह निर्धारण व निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–वित्त एवं निदेशक–विधि की इस संबंध में पत्रावली पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तत्समय प्रचलित आरक्षित दर से राशि वसूल की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/DCE/JDA-III/1802-IV | 2114-दिनांक :: 31/12/2012 | 2152

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर – वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. .....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

2114-50
3/10/12

परिशिष्ट–1

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बंजे श्री रतन लाहोटी, आय ुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री हरिप्रसाद पिपरलिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
2.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	श्री एम.एस. रावल, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	
5.	श्री नरपत सिंह, अति. पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पुलिस कमिशनरेट, जोधपुर
6.	श्री मनीष अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री काशी प्रसाद, ए.ई.ई., 45, सीमा सडक कृतिक बल, जोधपुर
8.	श्री पी.सी. चौहान, प्रबन्धक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9.	श्री वी.के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, डिविजन–II, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
10.	श्री नन्दलाल शर्मा, मुख्य विधि सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री भागीरथ विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री महेन्द्रसिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2012 का परिशिष्ट–2

1– :: विद्युत विकास कार्यों के संबंध में।

अ प्रशासनिक स्वीकृति एवं वितीय स्वीकृति से अधिक कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति लाखो में	टेण्डर प्रिमियम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि लाखो में	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की आवश्यकता है लाखो मे	विशेष /विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	शुगालेश्वर पार्क व मंदिर का जीर्णोद्वार कार्य।	19.75	19.40 % Above	1/12-14	23.75	4.00	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
2	भदवासिया मस्जिद का विस्तार एवं निर्माण कार्य।	30.00	14 % .Above	8/12-13	32.71	2.71	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
3	युनानी दवाखाने के पास उदयमंदिर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	17.65	30 % .Above	10/12-13	21.92	4.27	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
4	वार्ड नं. 64 में विकास कार्य।	95.00	19.99% Above	12/12-13	109.10	14.10	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है।

							अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
5	उतर जोन में मुटाम लगाने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध में)	50.00	40 % Above	13/12-13	66.97	16.97	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
6	बन्जारा समाज श्मशान में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	18.00	15 % Above	14/12-13	19.45	1.45	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है
7	इन्द्रा कॉलोनी में नहर कवरिंग का कार्य।	85.00	7.25 % Above	15/12-13	87.25	2.25	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
8	वार्ड नं. 53 मगराज जी का टांका बावरी बस्ती में सामुदायिक भवन एवं चार दीवारी का निर्माण कार्य।	15.00	34.50 % Abvoe	17/12-13	19.29	4.29	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
9	राम मौहल्ला में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	25.00	29 % Abvoe	24/12-13	32.24	7.24	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
10	इस्लामिया स्कूल	32.00	9.88 % Abvoe	27/12-13	33.64	1.64	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव

	खारिया कुआ उदयमंदिर में कक्षा कक्ष एवं हॉल का निर्माण कार्य।						वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
11	सुखेश्वर बगेची कृष्ण धाम कागा में सामुदायिक भवन हॉल एवं अन्य विकास कार्य।	23.50	5.65 % Abvoe	28/12-13	23.74	0.24	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
12	भील समाज श्मशान कागा मं सामुदायिक हॉल व चार दीदारी का निर्माण कार्य	21.00	18.50 % Abvoe	39/12-13	23.31	2.31	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
13	बतासागर वार्ड सं. 51 मे प्रथम तल पर सामुदायिक भ्वन का कार्य	12.50	35 % Abvoe	40/12-13	16.16	3.66	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
14	मिरासी कॉलोनी मे अधुरे सामुदायिक भवन का शेष कार्य	6.95	19 % Abvoe	43/12-13	7.92	0.97	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
15	वीर तेजा मंदिर जाट विश्रार्थी	34.60	8.99 % Abvoe	44/12-13	36.11	1.51	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव

	स्थल मे अधुरे हॉल व टॉयलट ब्लॉक का कार्य						वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
16	ग्राम पंचायत माणक लाव मे चार न टयुबवल स विश्नोई क बर तक सडक निर्माण कार्य	40.00	14.98 % Abvoe	45/12-13	44.16	4.16	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
17	सैनिक क्षेत्रिय समाज मडोर मे विकास कार्य	45.00	24.81 % Abvoe	46/12-13	53.71	8.71	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
18	मदरसा माइनुल इस्ला प्राथमिक विद्यालय वार्ड नं. 50 मे विकास कार्य	10.00	16.50 % Abvoe	47/12-13	11.65	1.65	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
19	रामा का प्याउ इन्द्रा कॉलोनी सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण कार्य	18.00	12 % Abvoe	48/12-13	19.30	1.30	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
20	पीपा क्षत्रिय समाज क कागा स्थित स्वर्गाश्रम मे जीणेद्वार	8.00	15 % Above	50/12-13	8.16	0.16	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

	का कार्य						है।
21	उदयमंदिर स्थित राजकीय सिनियर सैकन्ड्री स्कूल में प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य	8.75	29 % Above	52/12-13	10.67	1.92	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
22	लतीफशाह दरगाह उदयमंदिर म मैनगट स्नानघर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	25.00	29 % Above	53/12-13	30.87	5.87	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
23	इस्लामिया स्कूल उदयमंदिर भूतल एवं प्रथमतल पर कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	28.50	29 % Above	54/12-13	35.18	6.68	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
24	श्री करणी क्षेशणिक संस्थान चरीटेबल टस्ट नागौरी गट मे हॉल का निर्माण कार्य	16.00	29.55 % Above	55/12-13	17.17	1.17	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
25	उदयमंदिर वार्ड नं 49 पशुवधग्रह की जमीन पर	24.00	59/12-13	5.50 % Above	24.48	0.48	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है।

	सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य						अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
26	जनहित सेवा संस्थान उदयमंदिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	24.00	61/12-13	10.81 % Above	25.72	1.72	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
27	महाराजा उम्मेद कायमखानी होस्टल जोधपुर में कमरों का निर्माण कार्य	22.50	62/12-13	7.86 % Above	23.18	0.68	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
28	निम्बा निम्बड़ी दरगाह में शेष कार्य।	8.05	15 % Abvoe	8/12-13	8.85	0.80	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
29	मेघवाल समाज श्मशान/बस्ती, कागा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (वार्ड नं. 53)	18.50	18.30 % Abvoe	17/12-13	20.99	2.49	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
30	बम्बाबारी के अंदर सामुदायिक भवन (भूतल) एवं	20.75	5 % Abvoe	18/12-13	20.84	0.09	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

	राजीव गांधी वाचनालय प्रथम तल का निर्माण कार्य।						है।
31	चामुण्डा कॉलोनी पहाडी पर सामुदायिक भवन का कार्य	7.50	54 % Above	31-C/12-13	11.01	3.51	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
32	रामेश्वर महादेव मंदिर कागा मे प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का कार्य	15.00	29 % Above	94/12-13	17.79	2.79	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
33	घांची समाज श्मशान कागा में विकास कार्य।	7.00	5 % Above	110/12-13	7.06	0.06	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
34	मस्जिद के पास सूरसागर वार्ड नं. 65 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	9.00	6.11 % Above	111/12-13	9.16	0.16	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
35	वर्गी समाज कागा श्मशान में सामुदायिक भवन व स्नानघर,	9.00	8 % Above	114/12-13	9.50	0.50	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

	सीमेन्ट की बेंच लगाने का कार्य।						है।
36	सरगरा समाज श्मशान कागा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	20.00	17.25% Above	6/12-13	22.50	2.50	टीपी के कारण कार्यादेश राशि प्रशासनिक एव वितीय स्वीकृति से अधिक है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

2– :: जोन पश्चिम–बी व ए के विकास कार्यों के संबध में।

(1) स्वीकृत वित्तीय एवं प्रशासनिक राशि से अधिक के दिये गये कार्यादेशों की राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में

अधिशाषी अभियन्ता पश्चिम जोन ए व बी द्वारा वर्ष 2012–13 में जारी किये गये कार्यादेश टी.पी. के कारण अधिक राशि के जारी किये गये है। अतः निम्न कार्यो की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

जोन पश्चिम ''ए''

क्र. स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	टेण्डर प्रिमियम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजीव गांधी नगर योजना से अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम होते हुए जैसलमेर बाईपास तक सडक निर्माण कार्य	230.00	4.50% Above	18/12-13	233.08	3.08
2	राजीव गांधी नगर योजना में शेष भूखण्डो के मुटाम लगाने का कार्य।	32.12	40% Above	24/12-13	43.03	10.91
3	धानका समाज बाबा रामेदव मंदिर मसूरिया का जीर्णोद्वार का कार्य	8.50	12.51% Above	25/12-13	9.15	0.65
4	मेघवाल बस्ती मसूरिया, बाबा रामदेव मंदिर के सामने नाले पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	13.11	12% Above	29/12-13	14.05	0.94
5	जाटव समाज श्मशान	19.00	9.90% Above	47	19.98	0.98

	में सामु. भवन एवं चार दीवारी का कार्य।					
6	श्याम मनोहर नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	9.25	9.90% Above	51/12-13	10.04	0.79
7	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के शमशान के लिए सड़क निर्माण कार्य।	6.10	11.25% Above	53	6.4	0.30
8	वार्ड नं. 21 बालाजी कॉलोनी से टी.वी. टावर रोड निर्माण कार्य।	28.55	11% Above	54	30.4	1.85
9	वार्ड नं. 21 मुस्लिम समुदाय के लिये सामुदायिक भवन निर्माण बाबत (नाले पर)	18.10	10% Above	84	19	0.90
10	यूआईडी एसएसएमटी के अन्तर्गत डाली गई सीवर लाईन कॉलोनियों में सडको का निर्माण कार्य	13.11	24.49% Above	87	448.78	93.78
11	आदेश्वर नगर में सडक निर्माण कार्य।	19.85	7.62% Above	88	20.43	0.58
12	कुलदीप विहार में सडक निर्माण कार्य।	19.85	7.62% Above	89	20.43	0.58
13	कुम्हारो की बगेची मसूरिया के पास स्थित नाले पर सार्व. यूरिनल निर्माण कार्य।	2.85	8.99% Above	93	2.97	0.12
14	पंचमुखा बालाजी मंदिर रोड पर सडक निर्माण कार्य	12.05	7.71% Above	103	12.41	0.36
15	विश्वकर्मा नगर रिलायंस पेट्रोल पम्प पाल रोड में डामरीकरण कार्य।	5.30	7.71% Above	107	5.44	0.14
16	कुम्हारो की बगेची से न्यु कोहिनुर सिनेमा तक सडक निर्माण कार्य।	27.55	6.30% Above	108	28.03	0.48
17	मेघवाल बस्ती मसुरीया रोड पर सडक निर्माण कार्य।	17.25	7.39% Above	111	17.71	0.46
18	आखलिया चौराहा से आईसक्रिम फेक्ट्री होते हुए पीपलेश्वर महादेव तक सडक निर्माण कार्य।	15.00	8.99% Above	114	15.59	0.59

19	श्रमिकपुरा सेक्टर ए.बी.सी. मसुरिया में सडक निर्माण कार्य।	70.95	7.46% Above	115	72.96	2.01
20	मारवाड नगर में डामर रोड निर्माण कार्य।	24.50	8.99% Above	116	25.55	1.05
21	चौपासनी मुख्य सडक से चौपासनी राजकिय चिकित्सालय व आगे तक सडक डामरीकरण कार्य।	40.00	7% Above	121	41.14	1.14
22	चौपासनी रोड से चौपासनी स्कूल में देवी मन्दिर तक डामरीकरण का कार्य	30.00	7.25% Above	122	30.77	0.77
23	वार्ड नम्बर 09 में सडक डामरीकरण का कार्य	24.55	9% Above	127	25.6	1.05
24	ग्राम चौखा के सोलंकियो का बास बालोजी मन्दिर मूं हनुमानपुरा होते हुए साभला बाध तक सडक निर्माण	28.60	13.48% Above	132	31.05	2.45
	योग :–	**1058.03**			**1183.99**	**125.96**
जोन पश्चिम ''बी''						
2012–13						
1	रामदेव कॉलोनी में रामदेव मंदिर के पास सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण कार्य।	6.70	1% Above	04/12-13	6.74	0.04
2	भोमिया जी के थान स्थित क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	13.10	5% Above	31	13.16	0.06
3	वार्ड नं. 13 में विभिन्न स्थानो (पहाडी क्षेत्र) में सडक निर्माण कार्य।	40.85	4.48% Above	48	41.04	0.19
4	आखलिया चौराहा पर स्थित सेक्टर ए,बी,सी तथा डी शोपिंग सेन्टर में सीवर लाईन का कार्य।	34.75	11% Above	55	36.89	2.14
5	वार्ड नं. 10 एवं 11 में विभिन्न स्थानों पर सडक निर्माण कार्य।	71.40	11% Above	91	75.83	4.43
6	वार्ड नं. 2 से 11 नहर के पास एवं साईड की सडको पर से सडक निर्माण कार्य।	99.40	8.11% Above	57	102.81	3.41
7	माचिया सफारी पार्क	65.90	11.25%	56	70.5	4.60

	से किले तक सडक निर्माण कार्य।		Above			
8	वार्ड नं. 2 राजीव गांधी कोलोनी में सडक निर्माण कार्य।	54.50	4.90% Above	58	54.68	0.18
9	ई 24 के सामने हुडको क्वार्टर कमला नेहरू नगर के श्रीराम सा पार्क अपूर्व कार्य पूर्ण करने हेतु	3.00	19.50% Above	67	3.58	0.58
10	वार्ड नम्बर 65 मे विभिन्न स्थानों पर 11सीवर लाईन एंव सीसी सडक का कार्य।	27.00	13.94% Above	101	29.21	2.21
11	बी टी रोड सेक्टर ए बी सी एस डी आफ आखलिया शॉपिग सेन्टर	51.05	7.36% Above	109	52.44	1.39
12	शाहिदा इदगाह में सामूदायिक भवन निर्माण कार्य	21.30	9.99% Above	112	22.26	0.96
13	बडी भील बस्ती सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	24.50	16% Above	113	24.95	0.45
14	मावडीयो की ढाणी के पास सा.वि. सभा भवन निर्माण कार्य	13.50	18% Above	130	15.14	1.64
15	सिद्धनाथ मन्दिर के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य मय सुविधा	29.40	77% Above	133	32.99	3.59
16	चतुसम्प्राय वैष्णव श्मशान के पास सार्व. श्मशान में चबुतरा निर्माण एवें अन्तिम संस्कार स्थल पर टीन शेड लगाने का कार्य	3.00	58%Above	134	4.73	1.73
	योग :–	**559.35**			**586.95**	**27.60**

3– :: जोन उत्तर–ए व बी विकास कार्यों के संबंध में।

A	**संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य स्वीकृति हेतु।**	
	1	**गांधीपुरा बीजेएस मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (46)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स नरपत कन्स. कं. से इस कार्य से उक्त कार्य 17.50 प्रतिशत अबोउ दर आई है। संवेदक को कार्यादेश 29.40 लाख का दिया गया है जबकि वितीय स्वीकृति 25.00 लाख की है इसी कार्य के साथ बीजेएस में विभिन्न सामुदायिक भवनो का एवं बीजेएस

		स्कूल मे स्टेडियम का लोकापर्ण माननीय मुख्यमत्री द्वारा किया गया है। उन भवनो पर रंगरोगन अन्य आवश्यक कार्य करवाया गया है। जिस पर अतिरिक्त व्यय रूपये 5.60 लाख की स्वीकृति दिनांक 10.07.12 को प्राप्त की जा चुकी है। उपरोक्त कार्य की कुल संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 29.40 + 5.60 = 35.00 लाख की स्वीकृति तथा अतिरिक्त एवं अधिक राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	2	**खेतानाडी मे सडक निर्माण कार्य** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (81)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स संदीप परिहार से इस कार्य से उक्त कार्य 8.01 प्रतिशत बिलो में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उपरोक्त कार्य मे ही कुछ और गलियों को भी सीसी सडक बनवाई जावे। उपरोक्त कार्य को करवाने के लिए रू. 32,60,093.40 की अधिक राशि की आवश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 40.50 लाख है उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 68,25,819.90 लाख की संशोधित वितीय एवं प्रशासिनक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 68,25,820/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा अधिक एवं अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	3.	**किसान कन्या सिनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय नागौरी बेरा मे विकास कार्य** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (88)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स रामेश्वर कन्स. कं. से इस कार्य से उक्त कार्य बी.एस.आर. में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि किसान कन्या, नागौरी बेरा सीनियर सैकण्डरी स्कूल मे लॉन मे जोधपुर मशीन कट कर्बस्टोन एवं इंटरलोकिंग टाईल्स लगवाई जावे जो कि उपरोक्त कार्य के अंतर्गत ही करवाया जाए। उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू0 19,04,040/– की अतिरिक्त राशि एवं रू. 1,07,415/– की अधिक राशि बनती है कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 4. 50 लाख है अतः उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू0 24,42,192.50 की आवश्यकता है। अतः रू0 24,42,192.50 संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा अधिक एवं अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	6	**सांसी बस्ती मदवासियां रोडवेज डिपो के सामने वाचनालय का निर्माण कार्य** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (101)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स प्रभु कन्स. से इस कार्य से उक्त कार्य 9.99 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि रॉकफेसिंग की जगह मंदिर के आगे Kadau Lirri लगवाई जाये उपरोक्त क्षेत्र को बढा दिया जाये। अतः उपरोक्त कार्य को करवाने के लिए अतिरिक्त राशि रू.0 446693/– बनती है एवं कार्य की अधिक राशि रू. 3,55,885/– बनती हैं कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति 6.00 लाख है अतः उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू0 13,35,470/– की आवश्यकता होगी। अतः रू0 13,35,470/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 4,46,693 की अतिरिक्त राशि एवं रू. 3,55,885 की अधिक राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	8	**रूपनगर महामंदिर मे छात्रावास मे फर्नीचर का कार्य** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (85)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स राकेश बिल्डर्स से इस कार्य से उक्त कार्य एच शेडयुल में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उपरोक्त कार्य के अंतर्गत ही फर्नीचर का कार्य का दायर बढवाया जाए। उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 7,32000/– की अधिक राशि एवं रू.

		3,69,606/– की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 15.60 लाख की है उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 18,89,306/– की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 18,89,306/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रू. 7,32000/– अधिक राशि एवं रू. 3,64,606/– अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	11	**मां भुवनेश्वरी माता मंदिर नागौरी बेरा के पास पार्क में विकास कार्य।** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (40)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स नेमसिंह कच्छवाह से इस कार्य से उक्त कार्य 5.86 प्रतिशत बिलो में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि पार्क में मिट्टी भरवाई जावे, फुटपाथ एवं क्रेजीमार्बल लगवाया जावे। उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिए रू. 1332114/– की अधिक राशि एवं रू0 546288/– की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 17.56 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 3405891/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 3405891/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रू. 1332114 अधिक राशि एवं रू. 546288 अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	13	**राजकीय उ.प्रा.वि. सांसी बस्ती महामंदिर से प्रथम ताल पर कक्षाकक्ष का निर्माण कार्य।** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (64)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स हकीम खिलजी एन्टरप्राईजेज से इस कार्य से उक्त कार्य 35 प्रतिशत अबोउ में करवाया गया। जनप्रतिनिधियों व अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि नई कक्षाए, पुस्तकालय भवन, पानी की प्याऊ, शौचालय, पुराने कमरो की पुनः फर्श, प्लास्टर इत्यादि कार्यो की भी इसी कार्य के अन्तर्गत जो कि प्रगतिरत है करवाया जावे। उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिए रू. 19,28,689/– की अधिक राशि एवं रू0 5,95,395/– की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 12.00 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 39,33,839/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 39,33,839/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. 5,95,395/– अधिक राशि एवं रू. 19,28,689/– अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	18	**तिलक नगर द्वितीय मे सामुदायिक भवन का शेष कार्य** अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश एफ 38 (29)/2012–13 की अनुपालना में मैसर्स उगम सिह गहलोत से इस कार्य से उक्त कार्य 19.56 प्रतिशत अबोउ में करवाया जा रहा है। मौहल्ला विकास समिति तिलक नगर द्वितीय व क्षेत्रीय पार्षद का अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेसित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उक्त सामुदायिक भवन के साथ में एक रसोईघर का निर्माण व पाक की चार दीवारी व मुख्यद्वार निर्माण कार्य इसी कार्य के अन्तर्गत जो कि प्रगतिरत है करवाया जावे। उपरोक्त कार्यो को करवाने के लिए रू. 7,05,861/– की अधिक राशि एवं रू. 5,28,887/– की अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू0 6.50 लाख की हैं उपरोक्त सभी कार्यो को करवाने के लिए रू. 19,64,860/– की संशोधित वितीस एंव प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अतः रू. 19,64,860/– की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू. रू. 7,05,861/– की अधिक राशि एवं रू. 5,28,887/– की

		अतिरिक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
	B	90 दिवस से अधिक से विलम्ब होने पर कार्यादेश स्वीकृति हेतु।
	1	राजीव गांधी कॉलोनी माटी चौराहा मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य (विधायक मद) प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 15 मे आईटम सं. 1 में एक ही फर्म की कॉपी प्राप्त हुई है जिसमें मैसर्स फादर्स कन्स. कं. की दर 21.00 प्रतिशत अबोउ थी। नेगोशियेशन पश्चात संवेदक द्वारा 19.99 प्रतिशत संशोधित दर प्रस्तुत की। कार्यादेश हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के कारण संवेदक को कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

2